भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1057

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946, (शक)

ईएसआईसी योजना

1057. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना द्वारा कामगारों को प्रदान की जाने वाली सुविधा और लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में ईएसआईसी योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या के संबंध में वर्तमान आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए तमिलनाडु सहित पूरे देश में ईएसआईसी केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार किया है; और

(ड.) यदि हां, तो शुरू किए गए नए केन्द्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इन कारखानों के ईएसआई अधिनियम, 1948 में परिभाषित कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, जो ₹ 21000/- प्रति माह (₹ 25,000/- निःशक्त व्यक्तियों के लिए) तक वेतन प्राप्त करते हैं, ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं और योजना के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ये लाभ: चिकित्सा लाभ, बीमारी संबंधी लाभ, प्रसूति लाभ, निःशक्तता लाभ, आश्रित

जारी/..2

लाभ और अंतिम संस्कार व्यय हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य आवश्यकता आधारित लाभ जैसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के तहत बेरोजगारी भत्ते भी बीमित व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग): देश भर में ईएसआईसी योजना के तहत वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान तमिलनाडु के जिलों के साथ-साथ कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**
2021-22	120359812
2022-23	133073951
2023-24	144359629

(घ) और (ङ): ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआई निगम किसी विशेष क्षेत्र में कुछ मानदंडों / बीमित व्यक्ति (आईपी) जनसंख्या मानदंडों के आधार पर नए अस्पतालों / औषधालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। इसके अलावा, ईएसआई निगम ने बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए देश भर में चिकित्सा सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए तमिलनाडु सहित 104 नए ईएसआई अस्पतालों और 166 ईएसआई औषधालयों की स्थापना के लिए “सैद्धांतिक” मंजूरी दे दी है।

****